संख्या- 23/2021/1468/96-आयुष-1-2020-413/2019

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 23 मार्च, 2021**

विषय- राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी के नियंत्रणाधीन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौबेपुर के चहारदीवारी के निर्माण हेतु प्रथम किश्त निर्गत किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-17/2021/4852/96-आयुष-1-2020-413/2019, दिनांक 02.03.2021 को निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी के नियंत्रणाधीन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौबेपुर के चहारदीवारी के निर्माण हेतु प्रथम किश्त निर्गत किये जाने के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या-124/332टी0सी0/योजना /2019-20; दिनांक 24.12.2020 के क्रम में शासन के पत्र संख्या-17/2021/4852/96-आयुष-1-2020-413/2019, दिनांक 02.03.2021 द्वारा निर्गत शासनादेश को तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा अपरिहार्य कारणों से निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-23/2021/1468(1)/96-आयुष-1-20, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी।
(6) संबंधित कार्यदायी संस्था (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in